करते हुए नक्शा लठ्ठा में तदनुसार पैमुदगी करने

उपस्थित :– 1. श्री पी.पी.गोस्वामी, अभिभाषक, वादी की ओर से
2. पेरोकार सरकार, तहसीलदार बिछीवाड़ा प्रतिवादी की ओर से

:: निर्णय ::

प्रकरण का सुक्ष्म विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी वादी श्री तेजा पिता गोवनजी पटेल, निवासी हथोड द्वारा एक वाद विरूद्ध सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बिछीवाड़ा के इस आशय का पेश किया गया कि वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1855/1583 रकबा 2–00 बीघा पर वह आवंटन एवं कब्जा सुपुर्दगी के दिनांक से आज तक निर्बाधित रूप से काश्त काबिज है तथा भूमि की सुरक्षा हेतु बाड व पत्थरों का परकोटा बनाया है। वादी को जहां कब्जा सुपुर्द किया गया था, वही पर आज भी काश्त काबिज है किन्तु नक्षा लठ्ठा में पैमुदगी चित्रण सही नाप की एवं सही स्थान पर नही की गई है, साथ ही चित्रण दो बीघा पूर्ण नही करते हुए करीब पौने दो बीघा की ही की गई है। वादी की उक्त आराजी भूमि एवं अन्य आराजी भूमि संख्या 1843/1583 रकबा 1–00 बीघा के मध्य से होकर पिछे स्थिति बस्ती तथा खेतो में आवागमन का रास्ता है, जिसका भी मौकानुसार नक्षा लठ्ठा में चित्रण नहीं किया गया है। अतः वाद को स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि की मौके पर काश्त काबिज स्थिति के अनुसार सही भूमि की घोषणा एवं रास्ता कायम करा नक्षा लठ्ठा में तदनुसार पैमुदगी चित्रण कराया जावे।

वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिसकी तामील संलग्न पत्रावली है। प्रकरण में वादी के प्रार्थना पत्र पर

उपखण्ड अधिकारी
बिछीवाड़ा

Scanned by CamScanner

न्यायहित में वादग्रस्त भूमि की मौके पर काबिज एवं नक्षा लठ्ठा की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट तहसीलदार बिछीवाड़ा से मंगवाई गई। तहसीलदार की रिपोर्ट मय पर्चा मौका तथा परिशिष्ट–क के प्राप्त होकर पत्रावली में संलग्न है।

प्रकरण में प्रतिवाद नही होने से वाद बिन्दु कायम करने की आवश्यकता नही रही। वादी की ओर से सर्व श्री तेजा पिता गोवनजी, कुबेर पिता गोवनजी एवं रामलाल पिता कोदरजी पटेल के बयान शपथ पत्र पेश हुए जो शामील पत्रावली है। श्री तेजा को पी.डब्ल्यु–1 एवं श्री कुबेर को पी.डब्ल्यु–2, के तौर पर न्यायालय में परिक्षित करवाते हुए दस्तावेजात नक्षा परिशिष्ट–अ प्रदर्श–1 जमाबंदी प्रदर्श 2, खसरा गिरदावरी प्रदर्श–3 एवं नक्षा ट्रेस प्रदर्श–4 मार्क करवाये गये है।

वादी के अभिभाषक एवं पेरोकार सरकार तहसीलदार बिछीवाड़ा को सुना गया। वादी के योग्य अभिभाषक का कथन है कि वादी को मौजा हथोड के बिलानाम खसरा संख्या 1583 में रकबा 2–00 बीघा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन होकर मौके पर कब्जा सुपुर्द हुआ तथा रेकार्ड में वादी के नाम अमल दरामद होकर नक्षा लठ्ठा में चित्रण किया गया। वादी के नाम नवीन आराजी संख्या 1855/1583 कायम हुई है। वादी के मौके पर जहां कब्जा सुपुर्द किया गया था तथा जहां वह आज भी वास्तविक एवं भौतिक रूपेण काश्त काबिज है तद्नुसार नक्षा लठ्ठा में पैमूदगी कर चित्रण नही किया गया है जो संबंधित कार्मिक की भारी भूल है। वादी ने इसे शुद्ध कराने कई मर्तबा निवेदन किया तथा नोटिस भी दिया किन्तु कार्यवाही नही होने से वाद प्रस्तुत करना पड़ा है। वाद के साथ संलग्न परिशिष्ट–अ में मौके की वास्तविक एवं भौतिक स्थिति को नजरी दर्शित किया गया है। वादी की ओर से अपने वाद के क्रम में करवाये गये बयानात पी.डब्ल्यु 1 एवं पी.डब्ल्यु 2, प्रदर्शित करवाये गये दस्तावेजात प्रदर्श–1 लगायत 4 तथा तहसीलदार बिछीवाड़ा की रिपोर्ट, संलग्न पर्चा मौका एवं परिशिष्ट–क के अवलोकन से भी वास्तविक स्थिति स्पष्ट होकर वादी के वाद की पुष्टि होती है। आराजी सं. 1855/1583 एवं 1842/1583 के मध्य 15 फीट चौडा आम रास्ता है। जिससे होकर पिछे स्थित खेत एवं बस्ती के लोगों का आवागमन होता है। वादी की भूमि बाड व पत्थरों के परकोटे से सुरक्षित है। नक्षे लठ्ठे को शुद्ध व आदिनांक रखने का दायित्व प्रतिवादी का है। वादी का वाद बखुबी प्रमाणित होता है जिससे प्रस्तुत रिपोर्ट एवं इसके संलग्न परिशिष्ट--क के अनुसार वाद को स्वीकार फरमाते हुए तद्नुसार घोषणा एवं राजस्व रेकार्ड नक्शा में शुद्धि हेतु आज्ञाप्ति प्रदान फरमावे। उपस्थित पेरोकार सरकार तहसीलदार बिछीवाड़ा ने प्रस्तुत रिपोर्ट मौका पर्चा एवं परिशिष्ट–क सही होने से तद्नुसार वाद को स्वीकार करने में आपत्ति नही होना जाहीर किया।

Scanned by CamScanner

उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्को पर मनन करते हुए पत्रावली का अद्योपरांत अवलोकन किया गया। वाद सरकार जरिये भूमिधारी/तहसीलदार बिछीवाड़ा के विरूद्ध प्रस्तुत है, जिसके साथ धारा 80 जा.दी. का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र धारा 80 जा.फो. स्वीकार किया जाता है। वाद का प्रतिवाद नही होने से वाद बिन्दु कायम नही है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में सर्वश्री तेजा, कुबेर एवं रामलाल के शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्री तेजा एवं कुबेर को क्रमशः पी.डब्लयु–1 एवं पी.डब्ल्यु 2 के तौर पर न्यायालय में परिक्षित करवाते हुए दस्तावेजात प्रदर्श–1 लगायत 4 को प्रदर्शित करवाया गया है। वादी श्री तेजा पी.डब्ल्यु 1 एवं श्री कुबेर पी.डब्ल्यु. 2 ने अपने वाद पत्र एवं वाद के साथ संलग्न परिशिष्ट–अ का समर्थन किया है। प्रस्तुत दस्तावेजात का भी समर्थन करते हुए परिशिष्ट–अ अनुसार काबिज हो मौके पर 15 फीट चौडा आम रास्ता होने बाबत् कथन किया है। तहसीलदार बिछीवाड़ा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं इसके संलग्न पर्चा मौका तथा परिशिष्ट–क का अवलोकन करने पर वादी के वाद की पुष्टि होती है। उक्त विवेचन से यह भी पाया जाता है कि मौके पर कब्जे काश्त एवं रास्ते की वास्तविक स्थिति के अनुसार राजस्व रेकार्ड नक्शा लठ्ठा में पैमुदगी नही करने में मानवीय एवं लिपिकीय त्रुटि हुई है जिससे तहसीलदार बिछीवाड़ा से प्राप्त रिपोर्ट तथा संलग्न परिशिष्ट–क के अनुसार भूमि के वास्तविक कब्जे सहित आम आवागमन के रास्ते की घोषणा एवं तद्नुरूप शुद्धि कराना न्यायहित में है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार बिछीवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि मौजा हथोड की आराजी संख्या 1855/1583 रकबा 2–00 बीघा एवं 1843/1583 रकबा 1–00 बीघा बाबत् नक्शा लठ्ठा की वर्तमान अशुद्ध पैमुदगी को विलोपित करे तथा वास्तविक मौका स्थिति परिशिष्ट–क अनुसार नवीन शुद्ध पैमूदगी करते हुए दोनों आराजीयात के मध्य मौकानुसार सार्वजनिक आवागमन हेतु 15 फीट चौडा रास्ता कायम करें। परिशिष्ट–क निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

निर्णय लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

11.10.18

(वरसिंह गरासिया)
उपखण्ड अधिकारी
बिछीवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बिछीवाड़ा

Scanned by CamScanner